रजिस्ट्री सं. डी.एल.–33002/99 भारत सरकार REGISTERED No. D.L.-33002/99
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
सत्यमेव जयते
Delhi Gazette

असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 332] दिल्ली, शनिवार, सितम्बर 2, 2017/भाद्र 11, 1939 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 238
No. 332] DELHI, SATURDAY, SEPTEMBER 2, 2017/BHADRA 11, 1939 [N.C.T.D. No. 238

भाग—IV
PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

पर्यावरण विभाग

(दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति)

अधिसूचनाएं

नई दिल्ली, 1 सितम्बर, 2017

सं. फा. डीपीसीसी/(3)(3)(8–17)/प्रशा.–14/1517.—जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 12 की उपधारा (3क) के साथ पठित धारा 2 के खंड (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अध्यक्ष, दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति, माननीय उपराज्यपाल, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के पूर्वानुमोदन से एतद्द्वारा दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति में **प्रशासनिक अधिकारी** के पद हेतु भर्ती पद्धति से संबंधित निम्नलिखित विनियम बनाते हैं, अर्थात् :–

1. **संक्षिप्त शीर्षक तथा प्रारंभ** :– (i) इन विनियमों को दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति प्रशासनिक अधिकारी, भर्ती विनियम, 2017 कहा जाये।

   (ii) ये शासकीय राजपत्र में अपने प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण एवं वेतन मैट्रिक्स में स्तर** :– उक्त पदों की संख्या, इसका वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम 2 से 4 में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।

3. **भर्ती पद्धति, आयु सीमा, योग्यता इत्यादि :–** उक्त पद की भर्ती पद्धति, आयु सीमा, योग्यता तथा उससे संबंधित अन्य मामले उक्त अनुसूची के कॉलम 5 से 13 में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।

4. **अयोग्यता** :– कोई भी व्यक्ति,

   (क) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है जिसका जीवित पति/पत्नी है; या

   (ख) जिसने जीवित पत्नी/पति के रहते हुए किसी अन्य व्यक्ति के साथ विवाह किया है,

वह उक्त पद पर नियुक्ति के लिये अयोग्य होगा :

उपबंध है कि सरकार यदि इस बात से संतुष्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति या अन्य पार्टी पर लागू व्यक्तिगत कानून के अन्तर्गत अनुमति योग्य है तथा ऐसा करने के अन्य आधार हैं तब किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रचालन से छूट प्रदान की जा सकती है।

5. **छूट प्रदान करने की शक्ति :–** जहां सरकार का मत है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है तो वह आदेश द्वारा तथा कारणों को लिखित में अभिलेखबद्ध करते हुए व्यक्तियों के किसी वर्ग या श्रेणी के संबंध में इन नियमों के किन्हीं उपबंधों से छूट प्रदान कर सकती है।

6. **बचाव :–** इन नियमों में कोई भी बात इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, भूतपूर्व सैनिक तथा अन्य विशेष व्यक्तियों के वर्गों के लिये अपेक्षित आरक्षण, आयु सीमा में छूट एवं अन्य रियायतों को प्रभावित नहीं करेगी।

अनुसूची

1.	**पदनाम**	:	**प्रशासनिक अधिकारी**
2.	**पदों की संख्या**	:	* 2(2017) * इसमें परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर है।
3.	**वर्गीकरण**	:	वर्ग 'ख'
4.	**वेतन मैट्रिक्स में स्तर**	:	वेतन मैट्रिक्स में स्तर – 9 (पूर्व संशोधित पे बैंड–2, रूपये 9300–34800+ ग्रेड पे–5400/–रुपये)
5.	**क्या चयन पद है या गैर चयन पद**	:	चयन
6.	**सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा**	:	लागू नहीं
7.	**सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएं**	:	लागू नहीं
8.	**क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता एवं आयु सीमा पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होगी**	:	लागू नहीं
9.	**परीवीक्षा की अवधि, यदि कोई है**	:	लागू नहीं
10.	**भर्ती की पद्धति सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा विभिन्न पद्धतियों से भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत**	:	पदोन्नति द्वारा जिसके न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा
11.	**यदि पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती होनी हो तो ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाना है**	:	**पदोन्नतिः–** वेतन मैट्रिक्स में स्तर – 7 (पूर्व संशोधित पे बैंड–2, रुपए 9300–34800+ ग्रेड पे–4600/–रुपए) के पद में तीन वर्ष की नियमित सेवा वाले दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति के अनुभाग अधिकारी /कार्यालय अधीक्षक **प्रतिनियुक्ति :** केन्द्रीय/ राज्य सरकार/स्वायत्त निकाय/ सांवधिक निकायों/ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के निम्नलिखित अधिकारीः– क. (1) नियमित आधार पर समरूप पदधारण करने वाले; अथवा (2) वेतन मैट्रिक्स में स्तर – 7 (पूर्व संशोधित पे बैंड–2, रुपए 9300–34800 + ग्रेड पे–4600/–रुपए) में पद में कम से कम तीन वर्ष की नियमित सेवा वाले **अथवा** वेतन मैट्रिक्स में स्तर–6 (पूर्व संशोधित पे बैंड–2,रूपये 9300–34800+ ग्रेड पे–4200/–रुपए) में पद में आठ वर्ष की नियमित सेवा वाले या समकक्ष तथा (ख) निम्नलिखित शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव रखने वाले : (1) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक (2) पर्यवेक्षी क्षमता में प्रशासन, लेखा तथा स्थापना कार्य में पांच वर्ष

			का अनुभव। कार्मिक प्रबन्धन में स्नातकोत्तर डिप्लोमाधारियों को प्राथमिकता दी जाएगी। (प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यतः तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी) **नोटः** भरक श्रेणी के विभागीय अधिकारी जो कि पदोन्नति की सीधी श्रृंखला में है वे प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति हेतु विचारणीय नहीं होंगे। इसी तरह, प्रतिनियुक्ति वाले भी पदोन्नति द्वारा नियुक्ति हेतु विचारणीय नहीं होंगे।
12.	**यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो तो इसकी संरचना क्या है?**	:	**विभागीय पदोन्नति समिति :** (1) अध्यक्ष, डीपीसीसी– अध्यक्ष (2) एम एस, सीपीसीबी या उनका नामिती –सदस्य (3) एम एस, डीपीसीसी – सदस्य (4) दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति के दो सदस्य (अध्यक्ष द्वारा मनोनीत) – सदस्य (5) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, दिल्ली सरकार का प्रतिनिधि – सदस्य
13.	**वे परिस्थितियां जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है।**	:	लागू नहीं।

DEPARTMENT OF ENVIRONMENT

(DELHI POLLUTION CONTROL COMMITTEE)

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 1st September, 2017

No. DPCC/(3)(3)(8-17)/Admn-14/ 1517.—In exercise of the powers conferred by sub-section (3A) of section 12 read with clause (i) of section 2 of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974, the Chairman, Delhi Pollution Control Committee, with prior approval of Hon'ble Lt. Governor, National Capital Territory of Delhi, hereby makes the following regulations regarding method of recruitment for the post of Administrative Officer in the Delhi Pollution Control Committee, namely:-

1. **Short title and commencement.—**(i) These regulations may be called the Delhi Pollution Control Committee, Administrative Officer Recruitment Regulations, 2017.

   (ii)They shall come into force on the date of their publication in Official Gazette.

2. **Number of posts, classification and level in Pay Matrix.—**The number of said posts, their classification and level in Pay Matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these regulations.

3. **Method of recruitment, age limit, qualifications etc.—**The method of recruitment, age limit, qualification and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualifications.—**No person,—

   a) Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living or;

   b) Who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any other person,

   shall be eligible for appointment to the said posts:

   Provided that the Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing exempt any person from the operation of this regulation.

5. **Power to relax.—**Where the Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these regulations with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.—**Nothing in these regulations shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the Post	Number of Posts	Classification	Level in Pay Matrix	Whether selection Post or Non-selection Post
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**
Administrative Officer	*2(2017) *subject to variation depending on work-load.	Category 'B'	Level 9 of the pay matrix (Pre-revised Pay Band – 2; Rs.9300-34800 with Grade Pay Rs. 5400)	Selection

Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment: whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancy to be filled by various methods
(6)	**(7)**	**(8)**	**(9)**	**(10)**
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	By promotion failing which by deputation

In case of recruitment by promotion/ deputation/absorption, grades from which promotion / deputation/absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(11)	**(12)**	**(13)**
Promotion: Section Officer/Office Superintendent of DPCC with three years of regular service in post in the Level 7 of pay matrix (Pre-revised Pay Band – 2; Rs. 9300-34800 with Grade Pay Rs. 4600). **Deputation:** Officers of Central / State Government/ Autonomous bodies/Statutory Bodies/PSUs: (a) (i) holding analogous posts on regular basis, or (ii) having atleast three years of regular service in posts in the Level 7 of pay matrix	**Departmental Promotion Committee consisting of :** 1. Chairman, DPCC – Chairman. 2. MS, CPCB or his nominee – member. 3. MS, DPCC – Member. 4. Two Members of Delhi Pollution Control Committee (to be nominated by the Chairman) - Members. 5.Representative of SC/ST of GNCTD - Member	Not applicable.

(Pre-revised Pay Band – 2; Rs. 9300-34800 with Grade Pay Rs.4600) **OR** eight years of regular service in posts in the Level 6 of pay matrix (Pre-revised Pay Band – 2; Rs. 9300-34800 with Grade Pay Rs. 4200) or equivalent; and (b) having the following: (i) Graduate from a recognized University. (ii) Five years experience of administration, accounts and establishment work in a supervisory capacity. Persons having Post-Graduate Diploma in Personal Management will be preferred. (Period of deputation shall not ordinarily exceed three years.) **Note:** The departmental officers in the feeder category who are in direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationist shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.		

सं. फा. डीपीसीसी/(3)(3)(8–12)/प्रशा0–14/1519:–जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 12 की उपधारा (3क) के साथ पठित धारा 2 के खंड (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अध्यक्ष, दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति, माननीय उपराज्यपाल, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के पूर्वानुमोदन से एतद्द्वारा दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति में **सिस्टम ऐनालिस्ट** के पद हेतु भर्ती पद्धति से संबंधित निम्नलिखित विनियम बनाते हैं, अर्थात् :–

1. **संक्षिप्त शीर्षक तथा प्रारंभ:**–(i) इन विनियमों को दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति सिस्टम ऐनालिस्ट, भर्ती विनियम, 2017 कहा जाये।

   (ii) ये शासकीय राजपत्र में अपने प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण एवं वेतन मैट्रिक्स में स्तर**.–उक्त पदों की संख्या, इसका वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम 2 से 4 में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।

3. **भर्ती पद्धति, आयु सीमा, योग्यता इत्यादि:**–उक्त पद की भर्ती पद्धति, आयु सीमा, योग्यता तथा उससे संबंधित अन्य मामले उक्त अनुसूची के कॉलम 5 से 13 में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।

4. **अयोग्यता:–**कोई भी व्यक्ति,

   (क) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है जिसका जीवित पति/पत्नी है; या

   (ख) जिसने जीवित पत्नी/पति के रहते हुए किसी अन्य व्यक्ति के साथ विवाह किया है, वह

   उक्त पद पर नियुक्ति के लिये अयोग्य होगा :

   उपबंध है कि सरकार यदि इस बात से संतुष्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति या अन्य पार्टी पर लागू व्यक्तिगत कानून के अन्तर्गत अनुमति योग्य है तथा ऐसा करने के अन्य आधार हैं तब किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रचालन से छूट प्रदान की जा सकती है।

5. **छूट प्रदान करने की शक्ति :–** जहां सरकार का मत है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है तो वह आदेश द्वारा तथा कारणों को लिखित में अभिलेखबद्ध करते हुए व्यक्तियों के किसी वर्ग या श्रेणी के संबंध में इन नियमों के किन्हीं उपबंधों से छूट प्रदान कर सकती है।

6. **बचाव :–** इन नियमों में कोई भी बात इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, भूतपूर्व सैनिक तथा अन्य विशेष व्यक्तियों के वर्गों के लिये अपेक्षित आरक्षण, आयु सीमा में छूट एवं अन्य रियायतों को प्रभावित नहीं करेगी।

अनुसूची

1.	**पदनाम**	:	**सिस्टम ऐनालिस्ट**
2.	**पदों की संख्या**	:	* 1(2017) * इसमें परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर है
3.	**वर्गीकरण**	:	वर्ग 'क'
4.	**वेतन मैट्रिक्स में स्तर**	:	वेतन मैट्रिक्स में स्तर–11 (पूर्व संशोधित 15600–39100/–रुपये जमा ग्रेड पे 6600/–रु.)
5.	**क्या चयन पद है या गैर चयन पद**	:	चयन
6.	**सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा**	:	लागू नहीं
7.	**सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएं**	:	लागू नहीं
8.	**क्या सीधी भर्ती के लिये अपेक्षित आयु एवं शैक्षिक योग्यता पदोन्नति के मामले में भी लागू होगी**	:	लागू नहीं
9.	**परीवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो**	:	लागू नहीं
10.	**भर्ती की पद्धति सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति या विलयन द्वारा विभिन्न पद्धतियों से भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत**	:	प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित)/पदोन्नति द्वारा
11.	**यदि पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/समावेश द्वारा भर्ती होनी हो तो ग्रेड जिनसे पदोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/समावेश किया जाना है**	:	**<u>पदोन्नति :</u>** वेतन मैट्रिक्स में स्तर – 10 (पूर्व संशोधित पे बैंड–3, रुपये 15600–39100+ ग्रेड पे–5400/–रुपए) में पदों में पांच वर्ष की नियमित सेवा वाले प्रोग्रामर । **टीप:–** जिन कनिष्ठ अधिकारियों ने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है और पदोन्नति के लिए विचारणीय हैं, उनके वरिष्ठ अधिकारी भी विचारणीय होंगे, बशर्ते कि उनकी अपेक्षित अर्हक सेवा ऐसी निर्धारित अर्हक सेवा की आधी से अधिक या दो वर्ष जो भी इनमें कम हो, से कम न हो और अपने कनिष्ठ अधिकारियों के साथ उच्च ग्रेड में अपनी पदोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है, जिन्होंने ऐसी अर्हक सेवा पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है । **<u>प्रतिनियुक्ति: (अल्पकालिक संविदा सहित)</u>** केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र/ मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान/स्वायत्त निकाय /सांविधिक निकाय / सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के अधिकारी (I) (1) नियमित आधार पर समरूप पद धारण करने वाले; अथवा (ii) वेतन मैट्रिक्स में स्तर – 10 (पूर्व संशोधित पे बैंड–3, रुपये 15600–39100+ ग्रेड पे–5400/–रुपए) में नियमित आधार पर पद पर नियुक्ति के उपरान्त पांच वर्ष की नियमित सेवा सहित या समकक्ष। **या** (iii) वेतन मैट्रिक्स में स्तर – 6 (पूर्व संशोधित पे बैंड–2, रुपये 9300–34800+ ग्रेड पे–4200/–रुपए) में आठ वर्ष की नियमित सेवा सहित । (II) निम्नलिखित योग्यताएं रखने वाले:

			क (1) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम्प्यूटर अनुप्रयोग/कम्प्यूटर विज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि, अथवा एम टैक (कम्प्यूटर अनुप्रयोग में विशेषज्ञता सहित) अथवा कम्प्यूटर इंजीनियरिंग/कम्प्यूटर विज्ञान/कम्प्यूटर प्रौद्योगिकी में बी ई/बी टैक उपाधि या समकक्ष (2) इलैक्ट्रोनिक डाटा प्रोसैसिंग का पांच वर्षीय अनुभव जिसमें से कम से कम दो वर्ष का अनुभव वास्तविक प्रोग्रामिंग में होना चाहिए । अथवा ख (1) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम्प्यूटर अनुप्रयोग/कम्प्यूटर विज्ञान में उपाधि, अथवा इलैक्ट्रोनिक्स/इलैक्ट्रोनिक्स एण्ड कम्यूनिकेशन इंजीनियरिंग में उपाधि या समकक्ष (2) इलैक्ट्रोनिक डाटा प्रोसैसिंग का सात वर्षीय अनुभव जिसमें से कम से कम तीन वर्ष का अनुभव वास्तविक प्रोग्रामिंग में होना चाहिए । अथवा ग (1) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर उपाधि या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से इंजीनियरिंग में उपाधि के समकक्ष (2) इलैक्ट्रोनिक डाटा प्रोसैसिंग का आठ वर्षीय अनुभव जिसमें से कम से कम चार वर्ष का अनुभव वास्तविक कम्प्यूटर प्रोग्रामिंग में होना चाहिए। अथवा घ (1) डीओइएसीसी प्रोग्राम के अन्तर्गत 'ए' स्तरीय डिप्लोमा अथवा विश्वविद्यालय प्रोग्राम के अन्तर्गत प्रदत्त कम्प्यूटर अनुप्रयोग में स्नातकोत्तर डिप्लोमा/राज्य तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित कम्प्यूटर अनुप्रयोग में पोस्ट पोलीटैक्नीक डिप्लोमा या समकक्ष (2) इलैक्ट्रोनिक डाटा प्रोसैसिंग का आठ वर्षीय अनुभव जिसमें से कम से कम चार वर्ष का अनुभव वास्तविक प्रोग्रामिंग में होना चाहिए। **नोट :** अन्यथा सुयोग्य उम्मीदवारों के मामले में योग्यता एवं अनुभव अध्यक्ष दिल्ली प्रदूषण समिति के विवेक पर शिथिलनीय (प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यतः तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी) **नोट :** भरक श्रेणी के विभागीय अधिकारी जो पदोन्नति की सीधी श्रृंखला में हैं, वे प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त के लिए विचारणीय नहीं होंगे । इस प्रकार प्रतिनियुक्ति अधिकारी पदोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचारणीय नहीं होंगे।
12.	**यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो तो इसकी संरचना क्या है?**	:	विभागीय पदोन्नति समिति (1) अध्यक्ष, डीपीसीसी– अध्यक्ष (2) अध्यक्ष द्वारा दो नामित सदस्य–सदस्य (3) सदस्य सचिव, सीपीसीबी या उनका नामित– सदस्य (4) सदस्य सचिव, डीपीसीसी – सदस्य (5) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, दिल्ली सरकार का प्रतिनिधि – सदस्य
13.	**वे परिस्थितियॉ जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है।**	:	लागू नहीं

No. DPCC/(3)(3)(8-12)/Admn-14/1519.—In exercise of the powers conferred by sub-section (3A) of section 12 read with clause (i) of section 2 of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974, the Chairman, Delhi Pollution Control Committee, with prior approval of Hon'ble Lt. Governor, National Capital Territory of Delhi, hereby makes the following regulations regarding method of recruitment for the post of System Analyst in the Delhi Pollution Control Committee, namely:-

1. **Short title and commencement**. - (i) These regulations may be called the Delhi Pollution Control Committee, System Analyst Recruitment Regulations, 2017.

   (ii)They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of posts, classification and level in pay matrix**. - The number of said posts, their classification and level in pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these regulations.

3. **Method of recruitment, age limit, qualifications etc**. - The method of recruitment, age limit, qualification and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualifications**. - No person,-

   (a) Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living or;

   (b) Who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any other person,

   shall be eligible for appointment to the said posts:

   Provided that the Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing exempt any person from the operation of this regulation.

5. **Power to relax**. - Where the Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these regulations with respect to any class or category of persons.

6. **Saving**. - Nothing in these regulations shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the Post	Number of Posts	Classification	Level in pay matrix	Whether selection Post or Non-selection Post
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**
System Analyst	*1(2017) *subject to variation depending on workload.	Category 'A'	Level 11 of pay matrix (Pre- revised Pay Band-3; Rs 15600-39100 plus Grade Pay Rs. 6600).	Selection

Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in case of promotees	Period of probation, if any
(6)	**(7)**	**(8)**	**(9)**
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable

Method of recruitment: whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancy to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/ deputation/absorption, grades from which promotion / deputation/absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(10)	**(11)**	**(12)**	**(13)**
By deputation (including short term contract)/ promotion.	**Promotion** Programmer with five years regular service in posts in level 10 in pay matrix (pre revised PB-3 Rs. 15600-39100 with Grade pay Rs. 5400).	**Departmental Promotion Committee consisting of** :- 1. Chairman,DPCC- **Chairman.** 2.Two members to be nominated by the Chairman —**Members.**	Not applicable.

	Note : Where the juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their senior would also be considered provided they are not short of the requisite qualify/eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying /eligibility service. **Deputation(including short term contract)** Officers of Central/State Government /Union Territory/Recognized Research Institute/ Autonomous bodies/Statutory Bodies/PSUs: (a)(i)holding analogous posts on regular basis; or (ii) with five years of regular service after appointment to the post on regular basis in level 10 of pay matrix (pre-revised PB-3 Rs. 15600-39100 with Grade Pay Rs. 5400 or equivalent ; Or (iii) With eight years regular service in the level 6 of pay matrix (pre-revised PB-2 Rs. 9300-34800 with Grade Pay Rs. 4200) or equivalent; and (b) Possessing the following qualification:- A (i) Master's degree in Computer application/Computer Science or M. Tech (with specialization in computer application) or BE/B.Tech in Computer Engg./Computer Science/Computer Technology of a recognised university or equivalent. (ii) Five years experience of electronic Data Processing out of which atleast two years experience should be in actual programming **OR** B (i) Degree in Computer Applications/Computer Science or Degree in Electronics/Electronics and Communication Engg. from a recognised University or equivalent. (ii) Seven years experience in Electronic Data Processing out of which , atleast three years experience should be in actual programming. **OR** C (i) Master's Degree of a recognized University or equivalent or Degree in Engg. of a recognzied University or equiavelent. (ii) Eight years experience of Electronic Data Processing out of which, atleast four years experience should be in actual computer programming. **OR**	3. Member Secretary, CPCB or his Nominee **-Member.** 4.Member Secretary, DPCC **-Member.** 5. Representative of SC/ST of GNCTD **-Member.**	

	D (i) 'A' Level Diploma under DOEACC Programme or Post Graduate Diploma in Computer Application offered under University Programme/Post Polytechnic diploma in Computer Application awarded by State Council of Technical Education or equivalent . (ii) eight years experience of Electronic Data Processing work out of which aleast four years experience should be in actual programming. **Note :** Qualification and Experience are relaxable at the discretion of Chairman Delhi Pollution Control Committee in case of candidates otherwise well qualified." (Period of deputation shall not ordinarily exceed three years). **Note:** The departmental officers in the feeder category who are in direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationist shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.		

सं. फा. डीपीसीसी/(3)(3)(8–18)/प्रशा.–14/1521.—जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 12 की उपधारा (3क) के साथ पठित धारा 2 के खंड (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अध्यक्ष, दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति, माननीय उपराज्यपाल, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के पूर्वानुमोदन से एतद् द्वारा दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति में प्रोग्रामर के पद हेतु भर्ती पद्धति से संबंधित निम्नलिखित विनियम बनाते हैं, अर्थात् :–

1. **संक्षिप्त शीर्षक तथा प्रारंभ** :– (i) इन विनियमों को दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति प्रोग्रामर, भर्ती विनियम, 2017 कहा जाये।

   (ii) ये सरकारी राजपत्र में अपने प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण एवं वेतन मैट्रिक्स में स्तर** :– उक्त पदों की संख्या, इसका वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम 2 से 4 में यथा विनिर्दिष्ट होंगे।

3. **भर्ती पद्धति, आयु सीमा, योग्यता इत्यादि** :– उक्त पद की भर्ती पद्धति, आयु सीमा, योग्यता तथा उससे संबंधित अन्य मामले उक्त अनुसूची के कॉलम 5 से 13 में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।

4. **अयोग्यता** :– कोई भी व्यक्ति,

   (क) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है जिसका जीवित पति/पत्नी है; या

   (ख) जिसने जीवित पत्नी/पति के रहते हुए किसी अन्य व्यक्ति के साथ विवाह किया है, वह उक्त पद पर नियुक्ति के लिये अयोग्य होगा :

   उपबंध है कि सरकार यदि इस बात से संतुष्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति या अन्य पार्टी पर लागू व्यक्तिगत कानून के अन्तर्गत अनुमति योग्य है तथा ऐसा करने के अन्य आधार हैं तब किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रचालन से छूट प्रदान की जा सकती है।

5. **छूट प्रदान करने की शक्ति :–** जहां सरकार का मत है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है तो वह आदेश द्वारा तथा कारणों को लिखित में अभिलेखबद्ध करते हुए व्यक्तियों के किसी वर्ग या श्रेणी के संबंध में इन नियमों के किन्हीं उपबंधों से छूट प्रदान कर सकती है।

6. **बचाव :–** इन नियमों में कोई भी बात इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, भूतपूर्व सैनिक तथा अन्य विशेष व्यक्तियों के वर्गों के लिये अपेक्षित आरक्षण, आयु सीमा में छूट एवं अन्य रियायतों को प्रभावित नहीं करेगी।

अनुसूची

1.	**पदनाम**	:	प्रोग्रामर
2.	**पदों की संख्या**	:	01* (2017) इसमें परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर है
3.	**वर्गीकरण**	:	वर्ग 'क'
4.	**पे बैंड तथा ग्रेड पे/वेतनमान**	:	पे मैट्रिक में स्तर–10 (पूर्व संशोधित पे बैंड–3, 15,600–39,100/–रुपये + ग्रेड पे 5400/–रुपये)
5.	**क्या चयन पद है या गैर चयन पद**	:	लागू नहीं
6.	**सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा**	:	35 वर्ष से अधिक नहीं (भारत सरकार द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों/अनुदेशों के अनुसार अनु0जा0/ अनु0ज0जा0/अ0पि0व0/शारीरिक अक्षमता श्रेणी इत्यादि के मामले में तथा सरकारी कर्मचारियों के लिये शिथिलनीय) **टीप :–** आयु सीमा निर्धारित करने के लिए मान्य तारीख वही होगी, जो भारत में रह रहे उम्मीदवारो के आवेदन–'पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि हो । लेकिन यह असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड़, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू व कश्मीर राज्य की लद्दाख सब डिवीज़न , हिमाचल प्रदेश का लाहौल व स्पीति जिला तथा चम्बा जिले की पांगी सब डिवीज़न व अंडमान निकोबार द्वीपसमूह व लक्षद्वीप के उम्मीदवारों के लिए निर्धारित अंतिम तारीख नहीं है।
7.	**सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएँ**	:	क (1) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम्प्यूटर अनुप्रयोग /कम्प्यूटर विज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि, अथवा एम. टैक. (कम्प्यूटर अनुप्रयोग में विशेषज्ञता सहित) अथवा कम्प्यूटर इंजीनियरिंग/कम्प्यूटर विज्ञान/कम्प्यूटर प्रौद्योगिकी में बी. ई./बी. टैक. उपाधि या समकक्ष (2) वास्तविक प्रोग्रामिंग के अनुभव सहित इलैक्ट्रोनिक डाटा प्रोसैसिंग कार्य का चार वर्षीय अनुभव, अथवा ख (1) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम्प्यूटर अनुप्रयोग/ कम्प्यूटर विज्ञान में उपाधि, अथवा इलैक्ट्रोनिक्स /इलैक्ट्रोनिक्स एण्ड कम्यूनिकेशन इंजीनियरिंग में उपाधि या समकक्ष (2) इलैक्ट्रोनिक डाटा प्रोसैसिंग का पांच वर्षीय अनुभव जिसमें से कम से कम दो वर्ष का अनुभव वास्तविक प्रोग्रामिंग में होना चाहिए। अथवा ग (1) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर उपाधि या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से इंजीनियरिंग में उपाधि या समकक्ष (2) इलैक्ट्रोनिक डाटा प्रोसैसिंग का छह वर्षीय अनुभव जिसमें से कम से कम तीन वर्ष का अनुभव वास्तविक प्रोग्रामिंग में होना चाहिए। अथवा

			घ (1) डीओइएसीसी प्रोग्राम के अन्तर्गत 'ए' स्तरीय डिप्लोमा अथवा विश्वविद्यालय प्रोग्राम के अन्तर्गत प्रदत्त कम्प्यूटर अनुप्रयोग में स्नातकोत्तर डिप्लोमा/राज्य तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा संचालित कम्प्यूटर अनुप्रयोग में पोस्ट पोलीटैक्नीक डिप्लोमा या समकक्ष (2) इलैक्ट्रोनिक डाटा प्रोसैसिंग का छह वर्षीय अनुभव जिसमें से कम से कम तीन वर्ष का अनुभव वास्तविक प्रोग्रामिंग में होना चाहिए। **नोट :** अन्यथा सुयोग्य उम्मीदवारों के मामले में योग्यता एवं अनुभव अध्यक्ष, दिल्ली प्रदूषण समिति के विवेक पर शिथिलनीय।
8.	**क्या सीधी भर्ती के लिये अपेक्षित आयु एवं शैक्षिक योग्यता पदोन्नति के मामले में भी लागू होगी।**	:	लागू नहीं
9.	**परीवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो**	:	दो वर्ष
10.	**भर्ती की पद्धतिः सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति या विलयन द्वारा विभिन्न पद्धतियों से भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत**	:	सीधी भर्ती द्वारा जिसके न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा ।
11.	**यदि पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति / समावेश द्वारा भर्ती होनी हो तो ग्रेड जिनसे पदोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/समावेश किया जाना है**	:	**<u>प्रतिनियुक्तिः</u>** केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र के अधिकारी (क) (1) मूल संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर समरूप पद धारण करने वाले; अथवा (2) मूल संवर्ग/विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर–8 (पूर्व संशोधित पे बैंड–2, 9300–34800/–रुपये + ग्रेड पे– 4800/–रुपये) में नियमित आधार पर नियुक्ति के उपरान्त ग्रेड में दो वर्ष की सेवा सहित। (ख) कॉलम 7 के अन्तर्गत सीधी भर्ती के लिये निर्धारित शैक्षणिक एवं अन्य योग्यता रखने वालेः (**नोट :** केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति के तुरन्त पहले धारित किसी अन्य संवर्ग बाह्य पद से प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यतः तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति हेतु अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि को छप्पन (56) वर्ष से अधिक नहीं होगी)
12.	**यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो तो इसकी संरचना क्या है?**	:	**विभागीय चयन समिति** (1) अध्यक्ष, डीपीसीसी– अध्यक्ष (2) अध्यक्ष द्वारा दो नामित सदस्य–सदस्य (3) सदस्य सचिव, सीपीसीबी या उनका नामित– सदस्य (4) सदस्य सचिव, डीपीसीसी – सदस्य (5) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, दिल्ली सरकार का प्रति. निधि – सदस्य

13.	**वे परिस्थितियॉं जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है।**	:	लागू नहीं

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से और उनके नाम पर,
एस. एम. अली, विशेष सचिव (पर्यावरण) एवं सदस्य सचिव,
दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति

No. DPCC/(3)(3)(8-13)/Admn-14/ 1521.—In exercise of the powers conferred by sub-section (3A) of section 12 read with clause (i) of section 2 of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974, the Chairman, Delhi Pollution Control Committee, with prior approval of Hon'ble Lt. Governor, National Capital Territory of Delhi, hereby makes the following regulations regarding method of recruitment for the post of Programmer in the Delhi Pollution Control Committee, namely:-

1. **Short title and commencement**. - (i) These regulations may be called the Delhi Pollution Control Committee, Programmer Recruitment Regulations, 2017.
(ii)They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of posts, classification and level in Pay Matrix**. - The number of said posts, their classification and level in Pay Matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these regulations.

3. **Method of recruitment, age limit, qualifications etc**. - The method of recruitment, age limit, qualification and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns 5 to 13 of the said Schedule.

4. **Disqualifications**. - No person,-
(a) Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living or;
(b) Who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any other person,
shall be eligible for appointment to the said posts:
Provided that the Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing exempt any person from the operation of this regulation.

5. **Power to relax**. - Where the Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these regulations with respect to any class or category of persons.

6. **Saving**. - Nothing in these regulations shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the Post	Number of Posts	Classification	Pay band and grade pay/ scale of pay	Whether selection Post or Non-selection Post
1	**2**	**3**	**4**	**5**
Programmer	*1(2017) *subject to variation depending on workload.	Category 'A'	Level 10 in the pay matrix (Pre- revised Pay Band-3; Rs 15600-39100 plus Grade Pay Rs. 5400)	Not applicable

Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in case of promotees	Period of probation, if any
6	**7**	**8**	**9**
Not exceeding 35 years. (Relaxable in case of SCs/STs/OBCs PH category etc. and government servant as per instructions/orders issued by the Govt. of India from time to time.) **Note. –** The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India except the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunanchal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Divison of J&k State, Lahaul & Spiti district and Pangi Sub Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman & Nicobar Island & Lakshadweep.	A (i) Master's degree in Computer application/Computer Science or M. Tech (with specialization in computer application or BE/B.Tech in Computer Engg./ Computer Science/Computer Technology of a recognized university or equivalent. (ii) Four years experience of electronic Data Processing work including experience of actual programing. **Or** B (i) Degree in Computer Application/Computer Science or Degree in Electronics/Electronics and Communication Engineering From a recognized University or equivalent. (ii) Five years experience in Electronic Data Processing out of which , atleast two years experience should be in actual programming. **Or** C (i) Master's Degree of a recognized University or equivalent or Degree in Engg. of a recognized University or equivalent. (ii) Six years experience in Electronic Data Processing out of which, atleast three years experience should be in actual programming. **Or** D (i) 'A' Level Diploma under D.O.E.A.C.C. programme or Post Graduate Diploma in Computer application offered under University Programme/Post Polytechnic diploma in Computer Application awarded by State Council of Technical Education or equivalent. (ii) Six years experience in Electronic Data Processing, out of which atleast three years experience should be in actual programming. **Note :** Qualification and Experience are relaxable at the discretion of Chairman DPCC in case of candidates otherwise well qualified.	Not applicable	Two years

Method of recruitment: whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancy to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/ deputation/absorption, grades from which promotion / deputation/absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
10	**11**	**12**	**13**
By direct recruitment failing which by deputation.	**DEPUTATION** Officers under the Central/State Govts./Union Territories	**Departmental Selection Committee comprising of :-**	Not applicable.

	A (i) Holding analogous post on regular basis in the parent cadre/department; **or** (ii) with two years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in Level 8 in pay matrix (Pre-revised Pay Band-2; Rs 9300-34800/- plus Grade Pay Rs. 4800/-). of equivalent in the parent cadre/department. (B) Possessing the education and other qualification as prescribed for direct recruits under column 7. **Note** : Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding the appointment in the same or any other Organization/Department of Central Government should ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for deputation shall be 56 years on the last date of receipt of applications;.	1. Chairman, DPCC **-Chairman.** 2.Two experts nominated by the Chairman **-Members.** 3. Member Secretary, CPCB or his nominee **-Member.** 4. Member Secretary, DPCC **-Member.** 5. Representative of SC/ST of GNCTD **-Member.**	

By Order and in the Name of Lt. Governor,
of the National Capital Territory of Delhi,

S. M. ALI, Spl. Secy. (Env.)-cum-Member Secretary,
Delhi Pollution Control Committee.

शुद्धिपत्र

दिल्ली, 1 सितम्बर, 2017

सं. डीपीसीसी/(3)(3)(8-4)/प्रशा.14/1523.—दिल्ली राजपत्र असाधारण भाग–IV जारी संख्या 143 दिनांक 7 अप्रैल, 2017 तथा फाईल संख्या डीपीसीसी/(3)(3)(8-4)/प्रशा.14/572 दिनांक 6 अप्रैल 2017 में प्रकाशित दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति में सहायक पर्यावरणीय अभियन्ता के पद के भर्ती नियम से संबधित अधिसूचना के आंशिक संशोधन में अंग्रेजी संस्करण के मुख्य भाग तथा पैरा 1 (i) जो कि प्रथम पृष्ठ पर प्रकाशित है, में शब्द 'साईंटिस्ट' एवं शब्द साईंटिस्ट 'बी' को बदल कर उस की जगह 'सहायक पर्यावरणीय अभियन्ता' को पूर्व प्रभाव से पढ़ा जाये।
यह सक्षम अधिकारी के पूर्व अनुमोदन से जारी किया जाता है।

एस. एम. अली, विशेष सचिव (पर्यावरण) एवं सदस्य सचिव
दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति

CORRIGENDUM

Delhi, the 1st September, 2017

No. DPCC/(3)(3)(8-4)/Admn-14./1523.—In partial modification of notification regarding Recruitment Rules to the post of Assistant Environmental Engineer of Delhi Pollution Control Committee published in Delhi Gazette Extraordinary Part–IV issued vide No. 143 dated 7th April, 2017 and F. No. DPCC/(3)(3)(8-11)/Admn-14/572 dated 6th April, 2017 in English version, the word "Scientist" ïn main para at page 1(English Version) and word "Scientist 'B' in para 1(i) may be replaced and read as "Assistant Environmental Engineer" with retrospective effect.

This issues with the prior approval of Competent Authority.

S. M. ALI, Spl. Secy. (Env.)-cum-Member Secy.
Delhi Pollution Control Committee

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

RAKESH SUKUL Digitally signed by RAKESH SUKUL Date: 2017.09.11 22:40:16 +05'30'